भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1156

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- जलवायु अनुकूल कृषि

1156. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि जलवायु परिवर्तन से देश में कृषि आय में 15-25 प्रतिशत की कमी आ सकती है और अब समय आ गया है कि जलवायु-अनुकूल कृषि (सीआरए) को महत्व दिया जाए और उसे क्रियान्वित किया जाए और यदि हां, तो तत् संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने जलवायु समस्या पर नियंत्रण करने के लिए सहनशील किस्मों वाली फसलों की खेती जैसी उपयुक्त निवारक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एन.आई.सी.आर.ए.) नामक एक परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, जो फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है। यह जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को भी विकसित और बढ़ावा देती है, जो सूखा, बाढ़, पाला, हीट वेव आदि जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थितियों से ग्रस्त क्षेत्रों की मदद करती हैं। एन.आई.सी.आर.ए. के तहत किए गए अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि उचित उपायों के अभाव में, जलवायु परिवर्तन से वर्षा आधारित और सिंचित चावल, गेहूं, खरीफ मक्का आदि की उपज कम होने की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गेहूं की फसल के लिए भविष्य में गर्मी के स्ट्रेस के प्रति

अधिक संवेदनशील होने की संभावना है। हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सिंचित चावल गर्मी और पानी के स्ट्रेस से काफी प्रभावित होगा। एन.आई.सी.आर.ए. के तहत, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार 651 मुख्य रूप से कृषि जिलों के लिए जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। 'संवेदनशील' के रूप में पहचाने गए 310 जिलों में से 109 जिलों को 'बहुत अधिक' और 201 जिलों को 'अत्यधिक' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई हैं, ताकि मौसम संबंधी असामान्यता को दूर किया जा सके और स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों, किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की जा सके। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की अनुकूलन क्षमता और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए, एन.आई.सी.आर.ए. के तहत "क्लाइमेट रेजिलिएंट विलीज़" (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है। किसानों द्वारा अपनाने के लिए 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 151 जलवायु संवेदनशील जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए, आई.सी.ए.आर. के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने पिछले 10 वर्षों (वर्ष 2014-2024) के दौरान कुल 2900 किस्में जारी की हैं। जिनमें से 2661 किस्में एक या एक से अधिक बायोटिक और/या अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशील हैं। चावल गहनता प्रणाली, एरोबिक चावल, चावल की सीधी बुवाई, जीरो टिल गेहूं की बुवाई, सूखे और गर्मी जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों के प्रति सहनशील जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती; चावल के अवशेषों का इन-सीटू इनकार्पोरेशन; आदि जैसी जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियां विकसित और प्रदर्शित की गई हैं।

*****